राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय,जयपुर

विभाग में संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों की प्रगति का विवरण –

(राशि करोडों में)

क्र. सं	मद	वर्ष दिसम्बर 2013 से नवम्बर, 2018 तक	वर्ष दिसम्बर 2018 से मई 2019
1	निर्माण कार्यो की जारी प्रशासनिक स्वीाकृतियॉ	2014.92	4.65
2	मण्डी शुल्क से आय	2847.54	404.6
3	एगमार्क शुल्क से आय	2.90	29.86 (लाख रू.)

1. मण्डी शुल्क से प्राप्त आय

अ. मण्डी शुल्क की गत वर्ष से चालू माह तक की तुलनात्मक आय

वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रतिशत वृद्वि/कमी
63409.14 लाख रू.	61595.44 लाख रू.	- 2.86

ब. चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मण्डी शुल्क से आय गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में

अप्रेल 18 से मई, 18 तक	अप्रेल 19 से मई, 19 तक	प्रतिशत वृद्वि/कमी
14463.76 लाख रू.	19265.04 लाख रू.	33.20

राज्य की सभी मण्डियों में फल एवं सब्जी पर दिनांक 22.6.15 से 1.50 प्रतिशत उपयोक्ता प्रभार (user charges) लागू किया गया है। जो मण्डी शुल्क की आय में सम्मिलित है।

2. स्वीकृत निर्माण कार्य :

वर्ष 2018–19 व वर्ष 2019–20 में निदेशालय द्वारा मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर जारी की गई निर्माण कार्यो की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.स.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (राशि करोड रू. में)			
		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20 (मई, 2019 तक)	
		प्रशा.स्वी.	प्रशा. स्वी. के विरूद्ध जारी वित्तीय स्वी.	प्रशा.स्वी.	प्रशा. स्वी. के विरूद्ध जारी वित्तीय स्वी.
1	**मण्डी प्रांगण विकास कार्य**	**255.42**	**108.62**	**0.95**	**0.59**
2	**सम्पर्क सडक**	**168.01**	**93.64**	**0.00**	**0.00**
	योग	**423.43**	**202.26**	**0.95**	**0.59**

3. एगमार्क वर्गीकरणः

कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 8 एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। एगमार्क प्रयोगशालाओं से प्राप्त वर्गीकरण शुल्क की आय का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	वर्गीकरण शुल्क से आय (राशि लाख रू.में)
2018–2019	60.93
2019–2020 (मई, 2019 तक)	12.38

4. मुख्यमण्डी यार्ड/गौण मण्डी यार्डो की स्थापनाः राज्य में कृषि जिन्सों की क्रय–विक्रय हेतु वर्तमान में 144 मुख्यमण्डी यार्ड एवं 329 गौण मण्डी यार्ड स्थापित है।

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(22)कृषि/ग्रुप–2/2008 दिनांक 12.05.2016 के द्वारा मण्डी समितियों का श्रेणीकरण निम्नानुसार किया गया–

मण्डी समितियों का श्रेणीकरण

श्रेणी	मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय (रूपये में)	मण्डियों की संख्या
'विशिष्ठ' श्रेणी	500 लाख रू. या उससे अधिक	28
'अ' श्रेणी	350 लाख रू. या अधिक लेकिन 500 लाख रू. से कम	22
'ब' श्रेणी	200 लाख रू. या अधिक लेकिन 350 लाख रू. से कम	30
'स' श्रेणी	75 लाख रू. या अधिक लेकिन 200 लाख रू. से कम	43
'द' श्रेणी	75 लाख रू. से कम वार्षिक आय	21
कुल		144

5. राजीव गॉधी कृषक साथी सहायता योजना–2009 :–

किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित कर दिनांक 9.12.09 से ''राजीव गॉधी कृषक साथी सहायता योजना–2009'' लागू की गई । इसके अन्तर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य करते समय मृत्यु की दशा में 50,000 रू. के बजाय रूपये 1.00 लाख की गई थी, जो अब रूपये 2.00 लाख कर दी गई है। दो अंग–भंग होने की स्थिति में 30,000 रू. के बजाय 50,000 रू. की सहायता प्रदान की गयी है। अन्य घटनाओं पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 17–18 में 3061 व्यक्तियों को 4208.45 लाख रू. की सहायता राशि उपलब्ध करावाई गई है। वर्ष 2018–19 में माह मार्च, 2019 तक 2581 व्यक्तियों को 35.40 करोड रू. की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई। **वर्ष 2019–20 में माह मई, 2019 तक 50 व्यक्तियों को 81.45 लाख रू. की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई।**

वर्तमान सरकार के कार्यकाल (माह मई, 2019 तक) में 1039 कृषक लाभान्वितों को 14.63 करोड रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

6. किसान कलेवा योजना–

मण्डी समिति में मण्डी शुल्क से प्राप्त आय की अधिकतम 2 प्रतिशत राशि **किसान कलेवा योजना** हेतु आरक्षित करने की स्वीकृति आदेश क्रमांक प.4(48)निकृवि/नियमन/तृ.संशो./05/47516–566 दिनांक 02.3.2010 से प्रदान की गई है। इसके लिए पृथक से बजट की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात विभाग द्वारा पत्रांक प.2/निकृवि/म.सु./कि.क.यो./2014/45453–605 दिनांक 20.1.2014 के द्वारा ''किसान कलेवा योजना'' लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2858679 कृषकों आदि को लाभान्वित किया गया।
वित्तीय वर्ष 17–18 में 3281258 कृषकों को 789.74 लाख रू. की सहायता राशि से लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह मार्च, 2019 तक 3072482 कृषकों आदि को लाभान्वित किया गया जिसमें राशि रू. 718.75 लाख व्यय किये गये। **वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह मई, 2019 तक 729446 कृषकों आदि को लाभान्वित किया गया जिसमें राशि रू. 142.84 लाख व्यय किये गये।**

वर्तमान सरकार के कार्यकाल (माह मई, 2019 तक) में 16.63 लाख किसानों को मण्डी में 5 रूपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराया गया।

7. महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015

यह योजना राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञाप्तिधारी हम्मालों/पल्लेदारों की सहायतार्थ 11.04.2015 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत महिला अनुज्ञाप्तिधारी को प्रसूति के समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, पित्त्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि, इसके अतिरिक्त विवाह के समय सहायता, छात्रवृति/मेघावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता राशि, आदि सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2015–16 में 28 मजदूरों को 3.87 लाख रूपये व वर्ष 2016–17 में 251 मजदूरों को 36.19 लाख रू. व वित्तीय वर्ष 2017–18 में 531 मजदूरों को 133.73 लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई। वित्तीय वर्ष 2018–19 में माह मार्च, 2019 तक 659 मजदूरों को 215.05 लाख रू. की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई। **चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह मई, 2019 तक 19 मजदूरों को रू. 9.5 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई।**

वर्तमान सरकार के कार्यकाल (माह मई, 2019 तक) में 267 कृषक लाभान्वितों को रूपये 85.07 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

8. कृषि जिन्सों पर मण्डी शुल्क की दरों में कमी :–

कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं एवं किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित कृषि जिंसों पर मण्डी शुल्क में कमी/समाप्त किया गया है–

क्रस	नामित अधिसूचित कृषि उपज	पूर्व दर % में	वर्तमान दर % में एवं प्रभावी तिथि
1	जीरा	1.60	0.50 12.07.2004
2	इसबगोल	1.60	0.50 12.07.2004
3	सरसो	1.60	1.00 08.03.2006
4	तिलहन	1.60	1.00 28.03.2006
5	ज्वार	1.60	0.50 19.10.2006
6	बाजरा	1.60	0.50 19.10.2006
7	मक्का	1.60	0.50 19.10.2006

8	हरी पत्तेदार सब्जी	1.60	समाप्त 21.3.2005
9	नारियल	1.60	समाप्त 25.1.2006
10	फल सब्जी	1.60	0.01 05.08.2013
11	फल सब्जी	–	1.50 यू.चार्ज 22.6.2015

9. अन्य उपलब्धियां –

1. राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात विभाग के आदेश क्रमांक प.6(7)कृषि/ग्रुप–2/2000 दिनांक 04.03.2014 द्वारा जिला झालावाड में चौमेहला में कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी चौमेहला की स्थापना की गई।
2. राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात विभाग के आदेश क्रमांक प.10(5)कृषि/ग्रुप–2/88 पार्ट दिनांक 12.06.2014 द्वारा जिला बूंदी में देई को नई कृषि उपज मण्डी की स्थापना की गई है। प्रथम बैठक 28.10.2014 को आयोजित की गई है।
3. निदेशालय के पृ क्रमांक प.1(94)निकृवि/नियमन/उदयपुर (अनाज)/2014/ 20123–30 दिनांक 25/27.08.2014 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) उदयपुर के गौण मण्डी यार्ड गोगुन्दा का नाम ''महाराणा प्रताप राजतिलक गौण मण्डी यार्ड गोगुन्दा'' किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
4. राज्य सरकार कृषि (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप–2/ 89/20140–43 दिनांक 25/27.08.2014 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति कपासन के मुख्य मण्डी प्रांगण में पृथक से अजवाईन के लिए विशिष्ठ मण्डी प्रांगण बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
5. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.10(2)कृषि/ग्रुप–2–75 दिनांक 25/27.08.2014 के द्वारा वन उपज शीर्षक के अन्तर्गत लघु वन उपजों को मण्डी नियमन की परिधि में लेने हेतु मण्डी अधिनियम की धारा–3 के तहत आशय की अधिसूचना जारी कर आपतियॉ/सुझाव आमंत्रित किए गये थे, जिनके निस्तारण कर अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत अधिसूचित जिन्सों में शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार के आदेश उदयपुर (अनाज) मण्डी के मुख्य मण्डी यार्ड सविना में लघु वन उपज का पृथक से विशिष्ट मण्डी प्रांगण बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
6. राज्य सरकार के आदेशानुसार क्रमांकः प.(78)कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.12.2009 से जारी राजीव गांधी कृषक साथी योजना में आंशिक संशोधन करते हुए कृषक/खेतीहर मजदूर की खेती कार्य हुए मृत्यु होने की स्थिति में देय सहायता राशि 01 लाख रूपये के स्थान पर 02 लाख रूपये कर दी गई है।
7. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.6(3)कृषि/ग्रुप–2/2005 दिनांक 13.10.2014 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति फलौदी के अन्तर्गत ग्राम बाप को गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।
8. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.4(18)कृषि/ग्रुप–2/2014 दिनांक 04.12.2014 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति रानीवाडा के ग्राम जालेरा कलां को गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।
9. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.4(24)कृषि/ग्रुप–2/2006 दिनांक 07.01.2014 द्वारा ''विशिष्ट'' व ''अ'' श्रेणी के कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्षों को 6000 रूपये व ''ब'', ''स'' व ''द'' श्रेणी की मण्डी समितियों के अध्यक्षों को 4000 रूपये मानदेय प्रतिमाह दिया गया है। इनके दैनिक भत्तों में बढोतरी की गई है।
10. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.4(7)कृषि/ग्रुप–2/14 दिनांक 25.02.2015 के द्वारा जिला भीलवाडा में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति, शाहपुरा का गठन किया गया है।

11. राज्य में आदेश क्रमांकः प.2/निकृवि/मं.सु./श्र.क.यो./2015/542–691 दिनांक 10.04.2015 द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015 मण्डियों में कार्यरत अनुज्ञाधारी हमालो एवं पल्लेदारों की सहायतार्थ लागू की गई है।
12. राज्य सरकार की अधिसूचना की क्रमांकः प.10(2)कृषि/ग्रुप–2/1975 दिनांक 22.06.2015 के द्वारा फल एवं सब्जीयों के विक्रय पर यूजर्स चार्जेज लागू किया गया है।
13. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.4(7)कृषि/ग्रुप–2/2014 दिनांक 07.09.2015 के द्वारा स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति, महवा की स्थापना की गई है।
14. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.4(22)कृषि–2/2008 दिनांक 12.05.2015 द्वारा मण्डियों का नवीन मापदण्ड के अनुसार श्रेणीकरण किया गया है।
15. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.4(7)कृषि–2/2014 जयपुर दिनांक 09.03.2016 के द्वारा जयपुर जिले में ग्राम ''बस्सी'' को स्वतंत्र मण्डी घोषित किया गया है।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.6(6)कृषि–2/99 दिनांक 05.05.2016 द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, सवाईमाधोपुर के मण्डी क्षेत्र के ''भाडौती'' को गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।
17. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.10(45)कृषि–2/85 जयपुर दिनांक 01.07.2016 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा के मण्डी क्षेत्र ग्राम ''लाम्बाहरिसिंह'' में गौण मण्डी यार्ड घोषित किया गया है।
18. गुढागौडजी (नवलगढ़), छौटी सादडी (प्रतापगढ़), दूनी (देवली), चौमू फ.स. (चौमू), बज्जू (बीकानेर), पलसाना (सीकर) और भगत की कोठी (अनाज) (जोधपुर) में कृषि उपज मण्डी समितियां की स्थापना की गई है।
19. कोटडा(उदयपुर अनाज), आऊ (फलौदी), वीरमाना(सूरतगढ), साधुवाली (श्रीगंगानगर फ.स. ऊन), खाटूश्यामजी (सीकर), बूंदी फ.स. (बूंदी), टोडारायसिंह (मालपुरा), 4 सीवाईएम (फल सब्जी, रावतसर), लसाडिया (उदयपुर अनाज) और रसीदपुरा (फतहपुर), चांधण (जैसलमेर), बोरून्दा (पीपाड़सिटी), देसूरी (रानी स्टेशन), झझू(बीकानेर अनाज), सुल्ताना(चिड़ावा), हलैना(नदबई), चनाना(चिड़ावा), बालाजी(गुड़ागौड़जी), बैसरोली(कुचामनसिटी), बधेरा(नवलगढ़), खण्डेला(श्रीमाधोपुर), बोहेड़ा(बड़ीसादडी), पीपलखूट(प्रतापगढ़), हिगोनिया(किशनगढ़ रेनवाल), सावर(केकड़ी), भिवाडी(खैरथल) गौण मण्डी यार्डों की स्थापना की गई है।
20. राज्य कीअधिसूचना क्रमांकः प.4(2)कृषि–2/2014 दिनांक 12.01.2016 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति (फ.स.)जोधपुर का नांमाकरण सावित्री बाई फूले कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जोधपुर किया गया।
21. राज्य सरकार के पत्र क्रमांकः प.6(30)कृषि/ग्रुप–2/97 दिनांक 12.08.2016 के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति बाड़मेर के मुख्य मण्डी प्रांगण में विशिष्ठ जीरा मण्डी खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
22. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(22)कृषि/ग्रुप–2/85 दिनांक 22.06.2017 के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज–किशनगढ को दलहन की विशिष्ट मण्डी बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
23. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.4(25)कृषि/ग्रुप–2/2012 दिनांक 22.12.2017 के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम रसीदपुरा को विशिष्ट जिन्स प्याज मण्डी घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
24. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प.4(12)कृषि/ग्रुप–2/2016 दिनांक 13.07.2018 के द्वारा जयपुर जिले में राजधानी कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) जयपुर का मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया है।